भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1850

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

ताप विद्युत संयंत्रों में पराली का उपयोग

1850. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) द्वारा फसल अवशेष पराली (टन में) से ताप विद्युत संयंत्र-वार और टन भार-वार कितनी बायोगैस का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का पराली नहीं जला कर, उसका प्रसंस्करण कर उसे बायोगैस/ताप विद्युत संयंत्रों को भेजने बाले किसानों को प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र में तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का पराली प्रसंस्करण संयंत्रों को प्रोत्साहित करने का विचार है, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में तापविद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में फसल अवशेष से बनी बायोगैस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हालांकि, फसल अवशेष से बने बायोमास पेलेट्स को टीपीपी में कोयले के साथ को-फायर किया जा रहा है।

(ख) और (ग): जी हां, सरकार उन किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, जो पराली नहीं जला रहे हैं और इसके बजाय इसे बायोगैस और तापविद्युत संयंत्रों को आपूर्ति करने के लिए इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), महाराष्ट्र सहित देश भर में कम्प्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं और बायोमास आधारित ब्रिकेट/पेलेट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना में सहायता करने के लिए दिनांक 02.11.2022 को अधिसूचित राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के चरण-I के तहत बायोमास कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह स्कीम निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

क. बायोमास कार्यक्रम:

i. **ब्रिकेट विनिर्माण संयंत्रों के लिए:** 09.00 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटे (एमटीपीएच) उत्पादन क्षमता (प्रति परियोजना अधिकतम 45 लाख रुपये के अध्यधीन)।

ii. **गैर-टोरेफाइड पेलेट विनिर्माण संयंत्र के लिए:** प्रति एमटीपीएच उत्पादन क्षमता 21 लाख रुपये या पूंजीगत लागत का 30%, जो भी कम हो (अधिकतम 105 लाख रू. प्रति परियोजना के अध्यधीन)।

iii. **टोरेफाइड पेलेट विनिर्माण संयंत्र के लिए:** 42 लाख रुपये/एमटीपीएच उत्पादन क्षमता या 1 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजी लागत का 30%, जो भी कम हो (प्रति परियोजना अधिकतम 210 लाख रुपये)।

ख. अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम:

i. **बायोगैस उत्पादन:** 0.25 करोड़ रुपये प्रति 12000 सीयूएम प्रतिदिन (प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये के अध्यधीन)

ii. **बायो-सीएनजी उत्पादन:**

- 4.0 करोड़ रुपये प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन (नए बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए)।
- 3.0 करोड़ रुपये प्रति 4800 किलोग्राम प्रति दिन (मौजूदा बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए)। (प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ के अध्यधीन)

iii. **बायोगैस के आधार पर विद्युत उत्पादन:**

- 0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट (नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए)।
- 0.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट (मौजूदा बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए) [5.00 करोड़ रुपये प्रति परियोजना अधिकतम]।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों को लागू करके पराली प्रसंस्करण संयंत्रों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं:

- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई**) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के तहत छोटे, मध्यम और बड़े आकार के बायोगैस संयंत्रों और बायोमास आधारित ब्रिकेट/पेलेट बनाए जाने का समर्थन करता है;

- **जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग** ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना (एसबीएम(जी) के तहत गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-रिसोर्सेज धन (गोबरधन) की शुरूआत की ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद में परिवर्तित करके गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके;

- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)** ने बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (बीएएम) की खरीद के लिए कम्प्रैस्ड बायो-गैस उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू की है।

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)** ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा राज्यों और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में उत्पन्न धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पैलेटाइजेशन और टोरफेक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

- **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू)** ने वर्ष 2018 में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने और धान की पराली के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने संबंधी स्कीम शुरू की थी। एमओए और एफडब्ल्यू ने वर्ष 2023 में मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान करके, फसल अवशेष/धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करने के लिए स्कीम के तहत दिशानिर्देशों को संशोधित किया।

- **विद्युत मंत्रालय** ने कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों में बायोमास पैलेट (नगरपालिका ठोस कचरे से बने टॉरफाइड चारकोल सहित) की सह-फायरिंग के लिए एक व्यापक नीति जारी की है। यह नीति बिजली उत्पादन के लिए फसल अवशेष (बायोमास) के उपयोग को आसान बनाती है और बायोमास पैलेट की अच्छी-खासी मांग पैदा करती है, जिससे पूरे देश में पैलेटाइजेशन और टोरीफेक्शन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा मिलता है।

****